राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी- मांगीलाल (प्रशिक्षु आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 135/2019

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) - प्रार्थी

बनाम

1. बेअन्त सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बलकरण सिंह पुत्र श्री बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। - अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
251(क) रा. का. अ.

निर्णय

दिनांक: 07.02.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 डीएनजी के खाता संख्या 63/23 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में खाता बेअन्त सिंह वगैरह में 15.614 हैक्टेयर कृषि भूमि बहिब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी प्रमाणित जमाबंदी प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि-भूमि चक 2 डीएनजी के खाता संख्या 63/23 में प.न. 194/129 मु.न. 24 किला न. 1, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 प.न. 194/130 मु.न. 35 किला न. 1, 21, 10 में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने एवं आने-जाने में बिना स्वीकृत रास्ते के भारी असुविधा होती है। अतः प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु मौके पर चल रहे चालू रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने-जाने व कृषि यंत्र ले जाने हेतु खाता संख्या 63/23 के प.न. 194/129 मु.न. 24 किला न. 24 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर तथा किला न. 25 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर रास्ता दोनों किलो में पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों किलों की दक्षिण दिशा में स्वीकृत करवाना चाहता है।

Scanned by CamScanner

उक्त कृषि भूमि के किला नं. 25 के पूर्व दिशा में स्वीकृत रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर मौके पर चालू है उक्त कृषि भूमि मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप इतनी ही कृषि भूमि या कृषि भूमि का बाजार मूल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने को तैयार है, इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत कराने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कई दफा निवेदन किया कि आप चक 2 डी एन जी के खाता संख्या 63/23 के प.नं. 194/129 मु.नं. 24, किला नं. 24 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर तथा किला नं. 25 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर रास्ता दोनों किलों में पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों किलों के दक्षिण दिशा में रास्ता को स्वीकृत करा राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवें तो पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 टालमटोल करते रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर गये। यही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय स्तर से नोटिस तामील होने से पूर्व ही प्रार्थी और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया कि पक्षकारन ने आपसी सहमति, स्वतन्त्र इच्छा, बिना दबाव व बिना किसी नशा पता के राजीनामा कर लिया है व उनके मध्य कोई वाद-विवाद शेष नहीं है। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने हेतु व कृषि यंत्र लाने लेजाने हेतु चक 2 डीएनजी के खाता संख्या 63/23 के प.नं. 194/129 मु.नं. 24 किला नं. 24 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर तथा किला नं. 25 में एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर रास्ता दोनों किलो में पश्चिम से पूर्व की ओर दोनों किलो की दक्षिण दिशा में रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होंने अपने पत्र क्रमांक 841 दिनांक 13.12.2019 में चक 2 डी एनजी के प.नं.194/129 मु.नं. 24, किला नं. 24, 25 में दोनों किलों की दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में एक-एक बिस्वा अर्थात् 0.013 हैक्टेयर प्रत्येक में रास्ता पक्षकारन की आपसी सहमति के आधार पर स्वीकृत करने की अनुशंसा की है।

तहसीलदार संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का भली भांति अध्ययन किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का विरोध न कर सहमति व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियो के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 डी एन जी के खाता संख्या 63/23 के प.नं. 194/129 मु.नं. 24 के किला नं. 24 व 25 में दोनों किलों की दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में एक-एक बिस्वा अर्थात् दोनों में 0.013-0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गैर-मुमकिन रास्ता (सिवाय-चक) के रूप में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा प्रार्थना-पत्र निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.02.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सेरे इजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(मांगीलाल)

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
संगरिया

Scanned by CamScanner